बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

1/पी.एम.सी./विविध/931/2013–08/- 90 पटना, दिनांक– 15/07/2016

कार्यालय आदेश

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सूचीबद्ध परामर्शियों से विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने निमित विभागीय आदेश संख्या–1पी.एम.सी./विविध/931/07 दिनांक 3/01/2014 के माध्यम से प्रक्रिया निर्धरित की गयी थी। इस प्रक्रिया को कार्यहित में निम्नरुपेण संशोधित किया जाता है :–

(1) योजनाओं का संभाव्यता प्रतिवेदन संदर्भ की शर्तों (TOR) के साथ तैयार कर संबंधित मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, पटना को संबंधित योजना एवं मोनिटरिंग अंचल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

(2) योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 योजनाओं के संदर्भ की शर्तों (TOR) के आधार पर योजना का प्रारुप प्रस्ताव निवेदन (Draft RFP) वित्तीय तैयार कर मुख्य अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद,पटना को उपलब्ध करायेंगे।

(3) मुख्य अभियंता समग्र योजना, अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन पटना अपने अधीन कार्यरत समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमण्डल–2, अनिसाबाद, पटना के द्वारा योजना का (RFP) वित्तीय उपर्युक्त विभागीय आदेश में निहित शर्तो के अनुरूप निर्गत करेंगे तथा परामर्शी द्वारा समर्पित प्रस्ताव निवेदन का मूल्याकंण कर कार्य आवंटित करने हेतु संबंधित योजना एवं मोनिटरिंग अंचल को समर्पित करेंगे।

(4) संबंधित योजना एवं मोनिटरिंग अंचल वित्त विभाग के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में कार्य आवंटन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

(5) कार्य आवंटन संबंधित विभागीय आदेश निर्गत होने के पश्चात् एकरारनामा की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रमण्डल–2, अनिसाबाद, पटना करेंगे।

(6) परामर्शियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों की समीक्षा एवं स्वीकार्यता की जॉच सयुंक्त निदेशक, जल विज्ञान निदेशालय, योजना से संबंधित मुख्य अभियंता एवं मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपाकंण एवं शोध, जल संसाधन विभाग के सयुंक्त समिति से कराने के पश्चात् ही भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

(7) परामर्शियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों आवश्यकता अनुसार स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता समग्र योजना अन्वेषण तथा प्रोजेक्ट प्रीपरेशन, जल संसाधन विभाग, कन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार/गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद को भेजेंगे साथ ही वे प्रतिवेदन पर प्राप्त सुझावों का अनुपालन भी परामर्शी द्वारा करायेंगे।

15/7/16
(इन्दुभूषण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

C:\Users\HP\Desktop\sabitri\New folder\New folder\Suchna.docx